कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) पंजाब, चण्डीगढ़- 160017
राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

कार्यालय महालेखाकार(लेखा व हकदारी) पंजाब एवं यू.टी. चण्डीगढ़ की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वित्त वर्ष 2020-21 की तिमाही बैठक दिनांक 08.03.2021 को सायं 3:00 बजे श्री होवैदा अब्बास, महालेखाकार के सभापतित्व में संपन्न हुई। इस बैठक में 31.12.2020 को समाप्त हुई तिमाही की प्रगति रिपोर्ट पर विचार-विमर्श हुआ। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थेः-

क्रमांक	नाम व पदनाम	अभ्युक्ति
1.	श्री आकाश गोयल, व.उप महालेखाकार	उपमहालेखाकार (पेंशन)
2.	सुश्री भानुमती नाथन, उप महालेखाकार	उप महालेखाकार (प्रशा, यू.टी., तथा लेखा व वी.एल.सी)
3.	सुश्री राजबाला, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
4.	श्री मुखत्यार सिंह, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
5.	श्री जयगोपाल वर्मा, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
6.	श्री संजीव ठाकुर, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
7.	श्री जतिन्द्र पाल मलिक, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
8.	सुश्री सीमा गुप्ता, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
9.	श्री गुरप्रताप सिंह, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
10.	सुश्री मधु सैनी , वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
11.	श्री वीरेन्द्र शर्मा, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
12.	श्री राजीव कुमार बंसल, पर्यवेक्षक	सदस्य
13.	श्री रिंकू कश्यप, वरिष्ठ लेखाकार	सदस्य
14.	सुश्री एकता, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक	सदस्य

1. **गत बैठक के कार्यवृत्तों का पुनर्निरीक्षण और पुष्टिः-**
   बैठक में गत बैठक के कार्यवृत्तों का पुनर्निरीक्षण कर उनकी पुष्टि कर दी गई।
2. **31-12-2020 को समाप्त हुई तिमाही की हिन्दी प्रगति रिपोर्ट पर विचार-विमर्शः-**
   31-12-2020 को समाप्त हुई तिमाही की हिन्दी प्रगति रिपोर्ट पर विचार- विमर्श हुआ। 'क' और 'ख' क्षेत्रों के लिये हिन्दी पत्राचार के 90 प्रतिशत निर्धारित लक्ष्य के सामने इस कार्यालय से 'क' 'ख' तथा 'ग' क्षेत्र के साथ पत्राचार क्रमशः 92.40 प्रतिशत, 90.64 प्रतिशत तथा 87.5 प्रतिशत रहा जिस पर अध्यक्ष महोदय ने संतोष व्यक्त किया। अध्यक्ष महोदय ने यह भी आदेश दिया गया कि सभी स्कंधों की हिंदी प्रयोग संबंधी मासिक/त्रैमासिक रिपोर्टें हिंदी कक्ष को हर माह की 5 तारीख तक अविलंब प्रेषित की जाए ताकि समेकित रिपोर्ट मुख्यालय/राजभाषा विभाग को समय पर प्रेषित की जा सके।

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय/गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के आदेशों का कार्यान्वयनः

बैठक में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय/गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग से प्राप्त आदेशों और निर्देशों के विषय में सभापति महोदय को इस तथ्य से अवगत कराया कि सभी संबंधित आदेशों और निर्देशों पर यथानुसार कार्रवाई कर दी गई और उन्होंने इस संबंध में संतोष व्यक्त किया।

4. **अंकुर पत्रिका के संबंध में:**

हिंदी पत्रिका अंकुर के संबंध में महालेखाकार महोदय को अवगत करवाया गया कि अंकुर पत्रिका के 114–115 वें अंक के प्रकाशन हेतु रचनाएं संकलित कर सी.आर.टी अनुभाग को मार्च 2020 में ही भेज दी गई थी। अंकुर पत्रिका का 114–115 वां अंक प्रक्रियाधीन है। जिसमें 116–117 वें अंक को भी संयुक्तांक के रूप में जोड़ा जा रहा है। जिसके रफ प्रूफ को त्रुटियां सुधारने के बाद प्रेस में भेज दिया गया है।

5. **आई.टी.सैल द्वारा डाटा फिल्टरेशन हेतु–**

महालेखाकार महोदय ने कहा कि आई.टी. सैल, डाक मैनेजमेंट सिस्टम में हिंदी और अंग्रेजी के पत्रों को अलग करने की व्यवस्था करे जिससे अंग्रेजी और हिंदी के पत्रों को आसानी से पृथक किया जा सके। इस हेतु सूचना प्रोद्यौगिकी सहायता कक्ष को पत्र जारी किया जा रहा है।

6. **पी.पी.ओ. इंटिमेंशन को द्विभाषी करने के संबंध में–**

महालेखाकार महोदय ने कहा कि पेंशन अनुभाग में पी.पी.ओ. इंटिमेंशन को द्विभाषी किया जाए जिससे हिंदी पत्राचार में वृद्धि हो सके।

सभापति महोदय के प्रति धन्यवाद-प्रस्ताव के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

माधुरी नायर
18.3.21
उप महालेखाकार(प्रशासन)

क्रः- हिं.क./रा.का.स./20-21/227-228 दिनांकः- 18/3/21

प्रतिलिपिः-

1. **सूचना प्रोद्योगिकी सहायता कक्षः-** इस अनुरोध के साथ कि इन कार्यवृत्तों को सभी सदस्यों के सूचनार्थ/अनुपालन हेतु कार्यालय की वैबसाइट पर 'हिंदी कॉर्नर' में अपलोड करने की व्यवस्था करें।

2. **सहायक निदेशक (कार्यान्वयन), उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-1 (दिल्ली) को सूचनार्थ।**
त्रिकूट-2, तृतीय तल, भीकाजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम
नई दिल्ली-110066

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (हिंदी)